फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी श्री सोनु बनाम विपक्षी : श्री शंकर व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 172/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक 10.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 अनुपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 को पर्याप्त अवसर दिये जाने बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अत विपक्षी संख्या 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। विपक्षी संख्या 9 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 9 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी एंव विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमे पक्षकारो के मध्य कानूनी रूप से बटवाडा नहीं हुआ हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के विशेष हिस्से को कानूनी रूप से बंटवाडे करवाने से पूर्व हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं जिससे प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। प्रकरण मे प्रार्थनाग्रस्त भूमि का कानूनी रूप से विभाजन नहीं हुआ हैं। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि विशेष हिस्से को हस्तान्तरित करने पर आमादा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का बेचान होता है कानूनी पैचीदगिया बढेगी। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा निहित हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुंविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अचलाना पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड हाल तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2070–73 की खाता संख्या नया 172 की आराजी नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 732/16 किता 12 रकबा 7 बिघा 4 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 14:39:44 IST
Reason: SelfAttested